

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

अच्युत नंद यादव उर्फ अच्युत नंद सिंह

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

(2017 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.13579)

[के साथ 1996 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 9607 में 2021 की दीवानी समीक्षा सं. 165]

23 जून 2025

[राजीव रॉय, न्यायमूर्ति]

विचार के लिए मुद्दा

क्या बीएलटी केस संख्या 1189/2015 (अच्युता नंद यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में पारित दिनांक 28.08.2017 का आदेश एवं निर्णय सही है या नहीं?

हेडनोट्स

भूमि कानून - याचिकाकर्ता के दादा के खिलाफ ग्रामीणों द्वारा भूमि को प्रथागत और सुखभोगी अधिकारों के रूप में उपयोग करने के लिए मालिकाना हक का मुकदमा दायर किया गया था - मुकदमा लड़ा गया और ग्रामीणों के पक्ष में और प्रतिवादियों यानी याचिकाकर्ता के परिवार के खिलाफ फैसला सुनाया गया - याचिकाकर्ता के दादा और पिता सर्वोच्च न्यायालय तक अपना केस हार गए - पिता की मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता की मां ने मामले को राजी किया और मामले में स्थगन ले लिया, जिसे दो दशकों के बाद खारिज कर दिया गया - याचिकाकर्ता ने आदेश के खिलाफ एलपीए दायर किया और इसे भी तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया - याचिकाकर्ता ने उस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की, जिसे समीक्षा याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया।

निर्णीत: याचिकाकर्ता ने तथ्यों को दबाने के बाद स्थगन प्राप्त कर लिया - वर्ष 1961 में टाइटल सूट में आदेश पारित किया गया, आदेश अभी भी लागू नहीं हुआ - स्थगन हटा दिया गया - रिट याचिका खारिज कर दी गई। (पैराग्राफ 23, 25, 26 से 33)

न्याय दृष्टान्त

बिहार राज्य एवं अन्य बनाम हरेंद्र नाथ तिवारी, (2015) 1 पीएलजेआर 606—प्रतिष्ठित किया गया।

अधिनियमों की सूची

भूमि कानून

मुख्य शब्दों की सूची

प्रथागत और सुखाधिकार अधिकार; तथ्यों का दमन; स्थगन; धोखाधड़ी।

प्रकरण से उत्पन्न

बीएलटी केस संख्या 1189/2015 (अच्युता नंद यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में पारित आदेश एवं निर्णय दिनांक 28.08.2017 से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(2017 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 13579 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री राजेश मोहन, अधिवक्ता,

उत्तरदाता/ओं के लिए: श्री राज किशोर रॉय, जी.पी.-18; श्री विवेकानंद सिंह, जी.पी.- 18 के ए. सी.

निजी उत्तरदाता के लिए: श्री कुमार मालेंदु, अधिवक्ता; श्री मृत्युंजय प्रसाद सिंह, अधिवक्ता

(2021 की दीवानी समीक्षा सं. 165 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री राजेश मोहन, अधिवक्ता,

विरोधी पक्ष/ओं के अधिवक्ता: श्री मो. खुर्शीद आलम (एएजी 12); श्रीमती नूतन सहाय,
एएजी-12 के ए. सी.

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.13579

=====

अच्युत नंद यादव उर्फ अच्युत नंद सिंह, पिता- स्वर्गीय बलदेव महतो, निवासी- गाँव
और पोस्ट ऑफिस- कुमारपुर, थाना-फुल्ली डुमार, जिला- बांका

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर
3. उप समाहर्ता भूमि सुधार, बांका, जिला- बांका,
4. अंचल अधिकारी, फुल्ली डुमार, जिला- बांका,
5. पंकज कुमार सिंह, पिता- स्वर्गीय उग्रमोहन सिंह, निवासी- गाँव और पोस्ट ऑफिस-
कुमारपुर, थाना-फुल्ली डुमार, जिला- बांका

.....उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ
1996 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 9607
में
2021 की दीवानी समीक्षा सं. 165

=====

अच्युत नंद यादव उर्फ कारु महतो उर्फ अच्युत नंद सिंह, पिता- स्वर्गीय बलदेव यादव
उर्फ बलदेव महतो, निवासी- गाँव और पोस्ट ऑफिस- कुमार पुर, थाना- फुली इमार,
जिला- बांका

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. अंचल अधिकारी, शंभूगंज, जिला-बांका
3. भूमि सुधार उप- समाहर्ता, बांका
4. जिला दंडाधिकारी, बांका
5. अपर समाहर्ता, बांका
6. आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर
7. मोस्मात शांति देवी, पति- स्वर्गीय राम बिलास सिंह, निवासी- गाँव- कुमारपुर, थाना-
फुलि इमार, जिला- बांका
8. त्रिपुरारी सिंह, पिता- स्वर्गीय राम बिलास सिंह, निवासी- गाँव- कुमारपुर, थाना- फुलि
इमार, जिला-बांका
9. सुजीत सिंह, पिता- स्वर्गीय राम बिलास सिंह, निवासी- गाँव- कुमारपुर, थाना-
फुलिदुमार, जिला- बांका
10. सदानंद यादव, पिता- स्वर्गीय बलदेव यादव उर्फ बलदेव महतो, निवासी- ग्राम-
कुमारपुर, थाना- फुल्ली इमार, जिला- बांका

11. मोस्मात चित्रलेखा देवी, पिता- स्वर्गीय बलदेव महतो (मृतक/दिवंगत), पति- स्वर्गीय
विशुन प्रसाद यादव, निवासी- गाँव- खुर्द कोला, थाना- जगदीशपुर, जिला- भागलपुर
.....विरोधी पक्ष/ओं

=====

उपस्थिति :

(2017 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 13579 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री राजेश मोहन, अधिवक्ता,
उत्तरदाता/ओं के लिए: श्री राज किशोर रॉय, जी.पी.-18
श्री विवेकानंद सिंह, जी.पी.- 18 के ए. सी.
निजी उत्तरदाता के लिए: श्री कुमार मालेंदु, अधिवक्ता
श्री मृत्युंजय प्रसाद सिंह, अधिवक्ता

(2021 की दीवानी समीक्षा सं. 165 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री राजेश मोहन, अधिवक्ता,
विरोधी पक्ष/ओं के अधिवक्ता: श्री मो. खुर्शीद आलम (एएजी 12)
श्रीमती नूतन सहाय, एएजी-12 के ए. सी.

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय

मौखिक निर्णय

दिनांक: 23-06-2025

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश मोहन, श्री राज किशोर रॉय, विद्वान जी.पी.
- 18 को सुना गया, साथ ही प्रतिवादी संख्या 5 का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री कुमार
मालेंदु, श्रीमती नूतन सहाय के साथ, विद्वान एसी से एएजी-12 को भी सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए प्रस्तुत की गई है:

“बीएलटी मामला संख्या 1189/2015 (अच्युता नंद यादव @ अच्युता नंद सिंह बनाम बिहार राज्य

और अन्य) में श्री के.पी. रमैया, सदस्य, प्रशासनिक, बिहार भूमि न्यायाधिकरण, पटना द्वारा पारित दिनांक 28.08.2017 के आदेश और निर्णय को रद्द करने के लिए एक रिट जारी करने के लिए, जिसके द्वारा और जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर बीएलटी मामला संख्या 1189/2015 को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया कि मुझे अनुलग्नक-1 में उल्लिखित, नीचे दिए गए अधिकारियों द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता/अनियमितता नहीं मिली है। इसलिए, मैंने नीचे दिए गए अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे न केवल 0.3 दशमलव भूमि के संबंध में, बल्कि 2.52 एकड़ भूमि के संबंध में भी, जो वर्तमान याचिकाकर्ता के अधीन है, नीचे दिए गए अधिकारी द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। और अन्य अतिक्रमण किए जाने योग्य हैं, और आगे के निर्देश/निर्देशों, राहत/राहतों के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में याचिकाकर्ता हकदार हो सकता है।

”

3. वर्तमान मामले की कहानी वर्ष 1959 (65 वर्ष से अधिक पूर्व) की है, जब कपूरी मंडल नामक व्यक्ति ने अन्य ग्रामीणों के साथ मिलकर बांका के मुंसिफ न्यायालय में याचिकाकर्ता के दादा के विरुद्ध टाइटल सूट संख्या 34/1959 दायर किया था, जिसमें प्रार्थना की गई थी कि कुमारपुर के ग्रामीणों को बांका जिले के कुमारपुर गांव में स्थित सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 534 और 604 (खाता संख्या 72) द्वारा कवर की गई 2.52 एकड़ भूमि का उपयोग करने का प्रथागत और सुखभोगी अधिकार प्राप्त है।

4. मुकदमा लड़ा गया और फैसला ग्रामीणों के पक्ष में तथा प्रतिवादियों (याचिकाकर्ता के परिवार) के खिलाफ हुआ। प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार है:

"आदेश दिया गया

मुकदमे को प्रतिवादी प्रथम पक्ष के विरुद्ध लागत सहित आंशिक रूप से तथा शेष के विरुद्ध लागत सहित एकपक्षीय रूप से निर्णय दिया गया। प्लीडर की फीस रु. 30/-। एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि वादीगण तथा ग्राम कुमारपुर के अन्य निवासियों को वादपत्र की अनुसूची ए में निर्दिष्ट विवादित भूमि का उपयोग उन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए करने का अधिकार प्राप्त है तथा वे उन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उस पर कब्जा पुनः प्राप्त करने के हकदार हैं।

वादीगण 20/- रुपए हर्जाना पाने के हकदार हैं। प्रतिवादियों को वादीगण तथा कुमारपुर गांव के अन्य ग्रामीणों द्वारा विवादित भूमि के उपयोग में हस्तक्षेप करने से स्थायी रूप से रोक दिया गया है। "

5. विद्वान मुंसिफ (ए. हयात) द्वारा 22.12.1961 को दिया गया उपरोक्त आदेश प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से जवाबी हलफनामे का हिस्सा है क्योंकि याचिकाकर्ता ने इसे मुख्य रिट याचिका में संलग्न नहीं किया है।

6. उक्त आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता के दादा गैबी महतों ने 1962 की टाइटल अपील संख्या 09/ 1965 की टाइटल अपील संख्या 13 प्रस्तुत की। इसे विद्वान प्रथम अतिरिक्त उप-न्यायाधीश (मोहम्मद यूसुफ हसन) द्वारा 02.04.1965 को खारिज कर दिया गया तथा उन्हें मूल वादी के अधिकारों में हस्तक्षेप करने से स्थायी रूप से रोक दिया गया (प्रतिवादी संख्या 5 के प्रति-शपथपत्र के अनुलग्नक-बी)।

7. जैसा कि कहानी सामने आती है, उक्त आदेश के विरुद्ध **द्वितीय अपील संख्या 458/1965** दायर की गई, जिसे पटना उच्च न्यायालय ने 16.07.1980 को खारिज कर दिया।

8. फिर भी व्यथित होकर, **विशेष अपील (सिविल) सं. 9063/1981 (बलदेव महतो एवं अन्य बनाम कपूरी मंडल एवं अन्य)** प्रस्तुत की गई। यह ध्यान देने योग्य है कि बलदेव महतो याचिकाकर्ता के पिता हैं। उक्त अपील को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 28.01.1985 को बिना किसी दबाव के खारिज कर दिया गया (प्रतिवादी संख्या 5 के प्रति-शपथपत्र का अनुलग्नक-सी)। यह भी ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता के परिवार ने उक्त सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में कोई पुनरीक्षण याचिका दायर नहीं करने का निर्णय लिया।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिनांक 28.01.1985 का संक्षिप्त आदेश इस प्रकार है:

“विशेष अनुमति याचिका को खारिज किया जाता है क्योंकि उन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है, यदि वह चाहें तो। ”

10. इस पृष्ठभूमि में, 2.52 एकड़ भूमि से संबंधित मामला शांत हो जाना चाहिए था, जिसका विवरण ऊपर दर्ज किया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता के दादा/पिता स्वत्व न्यायालय से लेकर वर्ष 1959 में शुरू होकर वर्ष 1985 में समाप्त होने वाले माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक की लड़ाई हार गए थे।

11. इसके बजाय, परिवार ने मामले को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की और इस प्रक्रिया में, भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बांका के समक्ष **वाद संख्या 38/90-91** के आदेश

दिनांक 08.08.1990 के तहत एक और दौर की लड़ाई हारने के बाद, अपर समाहर्ता, बांका [(अपील संख्या 38, 1990-91) बलदेव महतो बनाम रामविलास सिंह] के समक्ष अपील दायर की गई। अपील 27.04.1994 को खारिज कर दी गई (प्रतिवादी संख्या 5 के प्रति-शपथपत्र के अनुलग्नक-एल)।

12. व्यथित होकर, याचिकाकर्ता के पिता ने कलेक्टर, बांका के समक्ष पुनरीक्षण वाद संख्या 17/94-95 दायर किया, जिसे भी दिनांक 15.12.1994 के आदेश (प्रतिवादी संख्या 5 के प्रति-शपथपत्र के अनुलग्नक-एम) द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद बांका पुनरीक्षण वाद संख्या 17/1994-95 दायर किया गया, जिसे 12.08.1996 को खारिज कर दिया गया।

13. ऐसा लगता है कि उस समय तक याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु हो गई थी और इस तरह उनकी मां, मो. तारो देवी ने 1996 की सीडब्ल्यूजेसी संख्या 9607 (मोस्ट तारो देवी बनाम बिहार राज्य और अन्य) को प्राथमिकता दी, जिसमें हालांकि पहले, याचिकाकर्ता का परिवार स्थगन प्राप्त करने में कामयाब रहा, अंततः और दो दशक बाद, इसे इस न्यायालय की एक पीठ [माननीय न्यायमूर्ति प्रभात कुमार झा (जैसा कि उस समय उनका प्रभुत्व था)] द्वारा खारिज कर दिया गया और 11.05.2018 के आदेश में निम्नानुसार रिकॉर्ड किया गया:

“दोनों पक्षों को सुना।

याचिकाकर्ता ने विविध अपील संख्या 38/1990-91 में अपर समाहर्ता द्वारा पारित दिनांक 27.04.1994 के आदेश, जमाबंदी वाद संख्या 17/94-95 के सुधार में उप जिलाधिकारी, बांका द्वारा पारित दिनांक 15.12.1994 के आदेश, तथा बांका पुनरीक्षण वाद संख्या 17/94-95 में आयुक्त, भागलपुर द्वारा पारित दिनांक 12.08.1996 के आदेश को रद्द करने के लिए यह रिट याचिका दायर की है, जिसके द्वारा खाता संख्या 72, खेसरा संख्या 534 और 604,

माप क्षेत्रफल 2.52 दशमलव के संबंध में याचिकाकर्ता के नाम को म्यूटेट करने की याचिकाकर्ता की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता ने पंजीकृत काबुलियत के आधार पर भूमि का दावा किया और सर्किल अधिकारी ने याचिकाकर्ता के नाम में परिवर्तन भी किया और किराया रसीदें जारी कीं

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्ष 1982-83 में याचिकाकर्ता के पक्ष में किराया रसीदें बंद कर दी गईं और याचिकाकर्ता ने विविध वाद संख्या 3/86-87 के तहत अंचल अधिकारी के समक्ष याचिका दायर की। अंचल अधिकारी ने याचिकाकर्ता के पक्ष में किराया रसीदें जारी करने की अनुशंसा की और अभिलेख डी.सी.एल.आर. को भेज दिए, लेकिन डी.सी.एल.आर. ने 08.08.1990 को अभियोजन न करने के कारण याचिका खारिज कर दी (अनुलग्नक-4)। तत्पश्चात, अपर कलेक्टर, उप-मंडल अधिकारी और आयुक्त ने अनुलग्नक-5, 6 और 7 में दिए गए आदेश के तहत याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने पंजीकृत काबुलियत के आधार पर भूमि का दावा किया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जब याचिकाकर्ता का नाम परिवर्तित किया गया था, तो ग्रामीणों ने मुंसिफ की अदालत में शीर्षक सूट संख्या 34/1959 दायर किया और मुंसिफ ने पाया कि भूमि की प्रकृति गैर मजरूआ आम है और खाता संख्या 72, खेसरा संख्या 534 और 604 की भूमि, जिसका क्षेत्रफल 2.52 डिसमिल है, आम ग्रामीणों के उपयोग में है। याचिकाकर्ता ने टी.एस. संख्या 34/1959 में मुंसिफ द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ अपील दायर की और उसे खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने पुनः उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील और सर्वोच्च न्यायालय

में विशेष अनुमति याचिका दायर की, जो खारिज कर दी गई। इसके अनुसरण में, चकबंदी कार्यवाही के दौरान, भूमि की प्रकृति गैर मजरूआ आम बताई गई।

प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि याचिकाकर्ता सभी अदालतों में अपना केस हार चुका है। हाल ही में, याचिकाकर्ता बी.एल.टी. में भी केस हार गया।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भूमि की प्रकृति के संबंध में विवाद का निपटारा सिविल न्यायालय द्वारा किया जा चुका है और याचिकाकर्ता के नाम पर जमाबंदी पहले ही रद्द कर दी गई है, मुझे इस रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखती।

तदनुसार, यह रिट याचिका खारिज की जाती है। ”

14. इस बीच, याचिकाकर्ता ने अपनी मां की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली और रिट कोर्ट के आदेश के खिलाफ एलपीए संख्या 856/2018 दायर किया, जिसे तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने 09.12.2019 को खारिज कर दिया।

15. फिर भी व्यथित होकर, एस.एल.ए. (सी) संख्या 8907/2020 प्रस्तुत की गई, जिसमें याचिकाकर्ता ने कुछ तर्क-वितर्क के पश्चात पुनर्विचार की स्वतंत्रता के साथ उक्त याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। इसे 17.11.2020 को पुनर्विचार की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया।

16. इसके बाद दीवानी समीक्षा संख्या 165/2021 आई, जो वर्तमान में रिट याचिका के साथ संलग्न है।

17. मामले के तथ्यों और याचिकाकर्ता के परिवार/याचिकाकर्ता द्वारा 2.52 एकड़ जमीन पर कब्जा करने के दो प्रयासों को दर्ज करने के बाद, हालांकि वे असफल रहे;

न्यायालय अब रिट याचिका में वर्तमान प्रार्थना पर विचार करता है जो कि बीएलटी केस संख्या 1189/2015 (अच्युता नंद यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में पारित दिनांक 28.08.2017 के आदेश और निर्णय के खिलाफ है जिसमें बिहार भूमि न्यायाधिकरण, बिहार, पटना (इसके बाद संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') ने दिनांक 28.08.2017 के एक तर्कपूर्ण आदेश के तहत याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया था।

18. आदेश का पैराग्राफ-5 प्रासंगिक है जो इस प्रकार है:

“5. वर्तमान विवाद सी.एस. खाता संख्या 72, सी.एस. प्लॉट संख्या 534 और 604 क्षेत्रफल 1.99 एकड़ और 53 दशमलव कुल क्षेत्रफल 2.52 एकड़, ग्राम कुमारपुर, थंका संख्या 175, जिला- बांका, औपचारिक रूप से भागलपुरपुर में स्थित भूमि के संबंध में जमाबंदी में सुधार के संबंध में है, साथ ही खाता संख्या 326, प्लॉट संख्या 326 क्षेत्रफल 3 दशमलव की भूमि पुराने सी.एस. सी.एस. सर्वे के रिकॉर्ड में गैरमजरूआ मलिक परती कदीम के रूप में दर्ज है और पुनरीक्षण सर्वेक्षण में इसे अनाबाद बिहार सरकार के रूप में दर्ज किया गया है। मूल रूप से वर्तमान याचिकाकर्ता बलदेव महतो के पिता जमाबादनी में सुधार करने और काबुलियत के एक अवैध के आधार पर उसके किराए की रसीद जारी करने का दावा कर रहे थे, जिसे कथित तौर पर स्वर्गीय बलदेव महतो द्वारा 15.12.1950 पर निष्पादित किया गया था, विवादग्रस्त भूमि गांव कुमारपुट के आम जनता के उपयोग के लिए है, जहां भूमि प्राचीन काल से स्थित है और ग्रामीणों ने इस आधार के साथ अपने निर्देशात्मक अधिकार के साथ-साथ प्रथागत और आसान अधिकार प्राप्त कर लिए तथा जमीन हड़पने और ग्रामीणों को वंचित करने के लिए लालची नजर रखने वाले याचिकाकर्ता के पिता स्वर्गीय बालदेव महतो को दिनांक 15/12/1950 को निष्पादित किया हुआ एक काबुलियत का एक सांठगांठ

वाला विलेख मिला, जिसमें आरोप लगाया गया है कि स्वर्गीय बालदेव महतो ने खुद एक दूसरे के साथ मिलीभगत करके पूर्व पूर्व मालिक के शेबेट कमलेश्वरी चौधरी के पक्ष में दिनांक 18/12/1950 को निष्पादित किया था और उसी पर आरोप लगाया गया है कि दोनों पक्षों ने पंचायती करने के लिए सहमति व्यक्त की थी और उन्होंने पंचायती के लिए लिखित सहमति समझौता किया था और तदनुसार दिनांक 30/07/1953 को पांचो द्वारा निर्णय लिया कि केवल 17 काठा प्लॉट नं. 534 की भूमि से बालदेव महतो को दिए जायेंगे और शेष भूमि गाँव की आम जनता के उपयोग के उद्देश्य से होगी, क्योंकि वे प्राचीन काल से उपयोग कर रहे हैं, पंचायती के दिनांक 30.7.1953 के तीसरे सहमति निर्णय को तत्कालीन पूर्व जमीन मालिक को सूचित करते हुए और तदनुसार जमींदारी के समय याचिकाकर्ता के पिता के नाम पर केवल 17 कठा की भूमि ही दिया गया। 14.09.1957 को याचिकाकर्ता के पिता ने इस विवाद के बंद अध्याय को पुनः खोला तथा कथित कबूलियत के आधार पर अपने नाम पर जमाबंदी को सही करने के लिए अंचल अधिकारी के समक्ष याचिका दायर की तथा इसे 1957-58 के केस संख्या 6 के रूप में क्रमांकित किया गया। इसके बाद ग्रामीण कपूरी मंडल ने अन्य लोगों के साथ मिलकर कथित कबूलियत विलेख दिनांक 18.12.1950 को कपटपूर्ण, शून्य और अमान्य घोषित करने के लिए शीर्षक वाद संख्या 34/1959 दायर किया है और यह भी घोषित करने के लिए कि ग्रामीणों को खाता संख्या 72, प्लॉट संख्या 534 और 604, कुल क्षेत्रफल 2.52 एकड़ की पूरी भूमि के उपयोग का अधिकार और सुखाधिकार प्राप्त है, कि याचिकाकर्ता और अन्य ने उक्त 2.52 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया है और उक्त 2.52 एकड़ भूमि से संबंधित उनकी जमाबंदी अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारियों द्वारा पहले ही रद्द कर

दी गई है। सिविल कोर्ट द्वारा टाइटल सूट संख्या 34/1954 (कपूरी मंडल एवं अन्य बनाम गैबी महतों एवं अन्य) में दिनांक 22.12.1961 को निर्णय पारित किया गया। उक्त टाइटल सूट में, संख्या 34/1959 (कपूरी मंडल और अन्य बनाम गैबी महतों और अन्य) 22.12.1961 को पारित किया गया। उक्त स्वामित्व वाद में, संबंधित गांव के वादी-ग्रामीणों का वाद स्वीकार कर लिया गया तथा वर्तमान याचिकाकर्ता के पूर्वज उस स्वामित्व वाद में हार गए। उक्त टाइटल सूट की डिक्री को टाइटल अपील संख्या 9/1962/13/1965 और द्वितीय अपील संख्या 458/1965 और सर्वोच्च न्यायालय तक एस.एल.ए. संख्या 9063/1981 के माध्यम से पुष्टि की गई थी। उस मुकदमे में न केवल वर्तमान याचिकाकर्ता के पूर्वज के अधिकार, स्वामित्व हित और कब्जे पर अविश्वास किया गया, बल्कि कथित हुकुमनामा के आधार पर उनके दावे को भी झूठा और मनगढ़ंत पाया गया। याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष उपरोक्त 2.52 एकड़ भूमि के संबंध में अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा दिए गए निष्कर्ष का खंडन करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की है, जिस पर उसने अन्य ग्रामीणों के साथ मिलकर अतिक्रमण कर रखा है। विपक्षीगण के अधिवक्ता ने पटना उच्च न्यायालय के 1999(3)पीएलआईआर 812 (मनोज कुमार) में दिए गए निर्णय को प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया है कि गैरमजरूआ आम/खास भूमि के किसी भी टुकड़े को जमींदार द्वारा आम जनता के अधिकार के उल्लंघन में बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त के मद्देनजर, मुझे अनुलग्नक-1 में उल्लिखित प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता/अनियमितता नहीं दिखती है, इसलिए नीचे के प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे न केवल 0.3 डेसीमल भूमि के संबंध में बल्कि 2.52 एकड़ भूमि के संबंध में भी पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें,

जिस पर वर्तमान याचिकाकर्ता और अन्य लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है।
चूँकि यह लगातार गलत है और याचिकाकर्ता ने अधीनस्थ प्राधिकारी के
आदेशों का पालन नहीं किया है, इसलिए अंचल अधिकारी,
फुल्लीडुमर/डी.सी.एल.आर., बांका को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का
निर्देश दिया जाता है। तदनुसार, ये आवेदन खारिज किए जाते हैं। ”

19. अभिलेख के लिए, यह न्यायालय सम्मिलित करता है कि प्रतिवादी संख्या 5 ने
बीएलडीआर वाद संख्या 30/2014-15 के तहत भूमि सुधार उप समाहर्ता, बांका के समक्ष
याचिकाकर्ता के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की थी, जब उसने खाता संख्या 326, खेसरा संख्या
326 में अपनी भूमि के 0.03 डिसमिल हिस्से को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था। तब
पूरी कहानी सामने आई कि याचिकाकर्ता का परिवार/याचिकाकर्ता माननीय सर्वोच्च
न्यायालय तक दो बार लड़ाई हार चुका है, लेकिन अभी भी 2.52 एकड़ जमीन पर कब्जा
बनाए हुए है। तदनुसार, न्यायालय ने अंचल कार्यालय, फुल्लीडुमर को मामले के सम्पूर्ण
तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भूमि की माप कराने का निर्देश दिया।

20. व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने आयुक्त, भागलपुर डिवीजन, भागलपुर के
न्यायालय के समक्ष विविध (भूमि विवाद) अपील संख्या 98/2014-15 (अच्युता नंद यादव
बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) दायर की, जिसने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए
05.08.2015 को अपील को खारिज कर दिया (रिट याचिका के अनुलग्नक-9)।

21. फिर भी व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने बीएलटी केस संख्या 1189/2015
(अच्युता नंद यादव एवं अन्य) में 'ट्रिब्यूनल' के समक्ष याचिका दायर की, जो कि ऊपर दर्ज
अनुसार 28.08.2017 को खारिज कर दी गई।

22. इसके बाद सीडब्ल्यूजेसी संख्या 13579/2017 को इस न्यायालय की एक
खंडपीठ द्वारा 21.09.2017 को सुना गया और प्रतिवादी संख्या 5 को नोटिस जारी करते हुए

और राज्य को छह सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हुए, बीएलटी मामला संख्या 1189/2015 में सदस्य (प्रशासनिक), बिहार भूमि न्यायाधिकरण, पटना द्वारा पारित दिनांक 28.08.2017 के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी गई।

23. तब से कई वर्ष बीत चुके हैं और यदि 1959 के पहले टाइटल सूट को ध्यान में रखा जाए, तो 1961 में मूल आदेश के अस्तित्व में आने के बाद से 66 वर्ष (छह दशक) बीत चुके हैं और इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है और याचिकाकर्ता का परिवार/याचिकाकर्ता किसी न किसी तरह से उक्त भूमि के फलों का आनंद ले रहे हैं।

24. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि बिहार सरकार का 2014 का एक संकल्प है कि यदि किसी व्यक्ति के पक्ष में रसीदें दी जा रही हैं, तो उसे मान्य किया जाना चाहिए।

25. यद्यपि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय पर यह प्रभाव डालने की कोशिश की कि इतने दशकों से भूमि पर उनका कब्जा होने के कारण, अब उन्हें उक्त भूमि पर अपना अधिकार प्राप्त हो गया है। अपने मामले के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने एलपीए संख्या 1696/2014 (बिहार राज्य एवं अन्य बनाम हरेंद्र नाथ तिवारी) के निर्णय, जो (2015) 1 पीएलजेआर 606 में प्रतिवेदित है, का हवाला दिया है, जिसके प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैं:

अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान एस.सी. 23 के ए.सी. श्री मृत्युंजय कुमार ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रदत्त स्वप्रेरणा शक्ति का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है, यदि परिस्थितियां अनुमति देती हैं और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानून में कायम नहीं रह सकता है।

विचाराधीन जमाबंदी 1946 में हुई थी। जिला कलेक्टर ने इसके संबंध में कार्यवाही शुरू की और 26.02.2013/23.07.2013 को इसे रद्द करने का आदेश पारित किया। शुरुआत में, हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि एक आदेश के लिए दो तारीखें कैसे हो सकती हैं। यह मानते हुए कि उनमें से एक तारीख कार्यवाही के लिए प्रासंगिक हो जाती है, यह स्पष्ट है कि प्रथम अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 9 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश पारित किया है।

प्रथम अपीलकर्ता, अर्थात् कलेक्टर, सिवान की ओर से अवैधता इतनी स्पष्ट थी कि, जब उनके आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका दायर की गई, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने 30 दिसंबर, 2013 को अपना पिछला आदेश वापस लेते हुए एक और आदेश पारित किया। हालाँकि, मामले में छेड़छाड़ करने का उनका दृढ़ संकल्प यहीं नहीं रुका। उन्होंने अपर कलेक्टर, यानी द्वितीय अपीलकर्ता को जमाबंदी रद्द करने की कार्यवाही शुरू करने के लिए वस्तुतः प्रेरित किया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि इतनी लंबी अवधि में, भले ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती, और सरकार के पास एकमात्र उपाय, यदि हो भी, तो मुकदमा दायर करना ही है। हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए विचार से पूरी तरह सहमत हैं।

हम जिला कलेक्टर के इस मामले से निपटने के तरीके पर भी गंभीर आपत्ति जताते हैं। सबसे पहले, उन्होंने यह जाँचे बिना ही आदेश पारित कर दिया कि उनके पास अधिकार क्षेत्र है या नहीं। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके पास क्षेत्राधिकार नहीं है, तो उन्होंने वस्तुतः अतिरिक्त कलेक्टर, यानी द्वितीय अपीलकर्ता को जमाबंदी रद्द करने की कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रेरित

किया। यह अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण या किसी निम्न अधिकारी को प्रभावित करने का प्रयास मात्र है। जब किसी विशिष्ट प्राधिकारी को वैधानिक शक्ति प्रदान की जाती है, तो यह निर्णय लेना उसी का काम है कि वह उस शक्ति का प्रयोग करे या नहीं। केवल इसलिए कि कोई अधिकारी पदानुक्रम में वरिष्ठ है, वह कार्यवाही शुरू करने के लिए किसी अन्य को निर्देश जारी नहीं कर सकता

इसके अलावा, स्वप्रेरणा से दी गई शक्तियों का प्रयोग, जब कभी भी प्रदान किया जाए, उचित समय के भीतर किया जाना आवश्यक है। ऐसी शक्ति का सहारा लेकर उन चीजों को अस्थिर नहीं किया जा सकता जो दशकों से, इस मामले में तो सात दशकों से भी ज़्यादा समय से अंतिम रूप धारण कर चुकी हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह अधिनियम वर्ष 2011 में लागू हुआ था; जबकि जमाबंदी वर्ष 1946 की थी। पक्षों को बहुमूल्य अधिकार प्राप्त हुए हैं और लगभग तीन पीढ़ियों के बाद भी उनका निपटारा नहीं किया जा सकता। किसी भी समय धोखाधड़ी का कोई आरोप नहीं था। इस दृष्टिकोण से, हम विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार, हम इस लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज करते हैं। यदि कोई अंतरिम आवेदन हो, तो उसका निपटारा कर दिया जाएगा। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। ”

26. दूसरी ओर, विद्वान राज्य अधिवक्ता श्री विवेकानंद सिंह ने उक्त दावे का खंडन किया और प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी 'जमाबंदी' को रद्द करने के लिए सभी कदम उठा रहे थे, लेकिन विभिन्न मुकदमों की मदद से, याचिकाकर्ता/उसका परिवार मामले के तथ्यों को दबाने के बाद स्थगन लेता रहा, जो वर्तमान मामले में भी तब तक जारी रहा जब तक कि प्रतिवादी संख्या 5 घटनास्थल पर नहीं पहुंचे और कहानी का दूसरा पक्ष प्रस्तुत नहीं किया।

27. प्रतिवादी संख्या 5 ने श्री कुमार मालेंदु के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और विद्वान राज्य अधिवक्ता के प्रस्तुतीकरण के क्रम में उन्होंने पूरी कहानी सुनाई है जिससे स्थिति और स्पष्ट हो गई है। उन्होंने दलील दी कि बिहार राज्य का उक्त संकल्प और/या मामला कानून कहीं से भी याचिकाकर्ता के बचाव में नहीं आता है क्योंकि यह याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि उसने 'जमाबंदी' जारी रखी, बल्कि याचिकाकर्ता/उसके परिवार ने जानबूझकर और तथ्यों को दबाते हुए बार-बार मामले में स्थगन लिया, पहले पहली रिट याचिका में जिसे अंततः खारिज कर दिया गया और बाद में वर्तमान रिट याचिका में और इस तरह, वह उक्त संकल्प की आड़ में छिप नहीं सकता है।

28. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि इस मामले के तथ्य बिहार राज्य (सुप्रा) मामले में दिए गए फैसले से पूरी तरह से अलग हैं क्योंकि यह पहले ही दर्ज किया जा चुका है कि दोनों रिट याचिकाओं में, उन्होंने तथ्यों को दबाकर रोक लगा दी और इस प्रकार यह किसी भी तरह से याचिकाकर्ता के बचाव में नहीं आ सकता है।

29. इस न्यायालय ने पूर्ववर्ती पैराग्राफों में सम्पूर्ण तथ्यों को दर्ज करते हुए पाया है कि मामला यह है कि टाइटल सूट का निर्णय वर्ष 1961 (22.12.1961) में याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों के विरुद्ध टाइटल सूट संख्या 34/1959 में किया गया था। उन्होंने अपील की, दूसरी अपील और अंततः माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए, लेकिन हर जगह हार गए। हालाँकि, उन्होंने पहले पुनर्विचार याचिका दायर करने की छूट लेते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से याचिका वापस ले ली थी, लेकिन वह कभी दायर नहीं की गई और मुकदमेबाजी का एक और दौर शुरू हुआ और हर जगह हारने के बाद, 1996 की सीडब्ल्यूजेसी संख्या 9607 दायर की, जो 11.05.2018 को खारिज हो गई। आदेश के खिलाफ दायर एलपीए को 09.13.2019 को खारिज कर दिया गया और एसएलए (सी) संख्या 8907/2020 को भी 17.11.2020 को खारिज कर दिया गया, हालांकि समीक्षा याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी गई, जिसके बाद दीवानी समीक्षा संख्या 165/2024 आई।

30. जहां तक याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत (बिहार राज्य एवं अन्य बनाम हरेन्द्र नाथ तिवारी) (सुप्रा) के आदेश का संबंध है, जैसा कि विद्वान राज्य अधिवक्ता ने सही कहा है, यह किसी भी तरह से उनके बचाव में नहीं आता है, क्योंकि इस मामले में याचिकाकर्ता/परिवार के सदस्य ने संपूर्ण तथ्यों को छिपाकर, रिट याचिकाएं दायर कीं, स्थगन लिया और इस प्रकार वे अब यह तर्क नहीं दे सकते कि इतना समय बीत जाने के बाद उन पर अधिकार आ गए हैं। बिहार राज्य (सुप्रा) के मामले में, माननीय न्यायालय ने कहा था कि धोखाधड़ी का कोई आरोप नहीं है। यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। याचिकाकर्ता के परिवार/याचिकाकर्ता ने लगातार महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया और इस प्रक्रिया में बार-बार स्थगन लेने में कामयाब रहे और उसके बाद जानबूझकर मामले को लटकाए रखा। तदनुसार, उक्त तर्क को अस्वीकार किया जाता है।

31. पक्षों को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने तथा सम्पूर्ण तथ्यों को सम्मिलित करने के पश्चात्, इस न्यायालय की राय है कि अब समय आ गया है कि सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 13579/2017 तथा दीवानी समीक्षा संख्या 165/2021, दोनों को खारिज करने के साथ फाइलों पर हस्ताक्षर करने का समय आ गया है।

32. तदनुसार आदेश दिया गया। सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 13579/2017 (अच्युता नंद यादव @ अच्युता नंद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) तथा दीवानी समीक्षा संख्या 165/2021 (अच्युता नंद यादव @ अच्युता नंद सिंह बनाम बिहार राज्य) वाली रिट याचिका एतद्वारा खारिज की जाती है। कोई लागत नहीं।

33. समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 21.09.2017 को दिया गया स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है।

(राजीव रॉय, न्यायमूर्ति)

अदनान/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।